पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय भार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति के लिए 22800 लाख रूपये की धनराशि मंजूर

लखनऊ : 02 जनवरी, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय भार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को द्वितीय और तृतीय त्रैमास के लिए प्रतिपूर्ति हेतु 22800.00 लाख (रूपये दो अरब अट्ठाईस करोड़ मात्र) रूपये की धनराशि मंजूर कर दी है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि यह धनराशि भारत सरकार द्वारा पूर्व में जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिये जाने के फलस्वरूप पी0पी0पी0 मोड पर क्रियान्वित की जा रही गंगा एक्सप्रेसवे के निष्पादित अनुबन्ध के आर्टिकल 41 चेंज इन लॉ के तहत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विकासकर्ताओं पर जी0एस0टी0 की 06 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय भार की प्रतिपूर्ति के लिए अवमुक्त की गयी है।

सम्पर्क सूत्र– सरिता वर्मा

राघवेन्द्र / 04:00 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in